Title: Demand to identify the most backward amongst the other backward classes (OBCs) as per the orders of Supreme Court.

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस पर अपनी ओर से एक बयान भी दे। कई अखबारों में १३ दिसम्बर को आया है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है जोकि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि १९९२ में १६ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और केन्द्रीय सरकार, केन्द्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि उन्हें पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। लेकिन वह पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, सभी राज्य सरकारें नहीं कर सकी हैं।

केन्द्र सरकार ने अभी तक इसे नहीं किया है। कुछ राज्य जैसे बिहार है, वहां मुंगेरी लाल कमीशन ने पिछड़े वर्ग में दो भाग किए थे। उसके आधार पर बिहार में अति पिछड़ों को राज्य सरकार की सेवाओं में १५ परसैंट आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में मिल रहा है लेकिन केन्द्र सरकार अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी तक सामाजिक और आर्थिक आधार पर क्रीमी लेअर की पहचान नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mandal, please take your seat now. There are other Members also who want to raise important matters. Please try to understand.

श्री ब्रहमानन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तैयार है या नहीं? आज अति पिछड़ों की आबादी ३२ से ३४ करोड़ है। पिछड़ों के नाम से जो आरक्षण है, उसका लाभ दबंग पिछड़ी जाति के लोग नहीं उठा रहे हैं।

... (व्यवधान)
मैं यहां रहता हूं या नहीं रहता हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिन के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। यह पूरे देश का सवाल है। ३२ परसैंट लोगों का सवाल है। केरल में एक अधिनियम बना था। उसमें कहा गया था कि क्रीमी लेअर केरल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया था। केन्द्र सरकार उसे लागू करेगी या नहीं? संसदीय कार्य मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, उनकी हर राज्य में पहचान होनी चाहिए।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद और सरकार का ध्यान कपास की खेती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

श्री ब्रहमानन्द मंडल : अभी हाल ही में बयान दिया और उसके पहले भी बयान दिया था कि जाटों को पिछड़े वर्ग में लिया जाए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please do not provoke him. Shri Mandal, please take your seat.

... (Interruptions)

श्री ब्रहमानन्द मंडल : मैं केरल हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please take your seat, Shri Mandal. I have called Shri Uttamrao Dhikale.